प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1.जिला-चौकी भ्र.नि.ब्यूरों, कोटा देहात थाना-प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर

प्र0सू0रि0संख्या ....189./2022 दिनांक.............18/5/2022

2.(I) अधिनियम--भ्र0नि0अधि0..धारायें-13(1)(सी)(डी),13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988

(i) 'अधिनियम..भ्र.नि.अ. .....

(ii) 'अधिनियम... भारतीय दण्ड संहित..'धारायें. 120बी भा.द.स.

(iii) 'अन्य अधिनियम धारायें...

3.(अ) रोजनामचा आम रपट संख्या.......................366......समय.....6:00 PM,

(ब) अपराध घटने का' दिन ......वर्ष 2013-2014...... समय ....

(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक .... समय ....

4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक - लिखित परिवाद

5. घटना स्थल:- नगर पालिका कैथून जिला कोटा

(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:- 15 कि.मी. पूर्व

(ब) 'पता- जिला कोटा ग्रामीण ....बीट संख्या.........जरायम देही संख्या............

(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो

पुलिस थाना..जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :-

(अ) नाम:- आईना महक

(ब) पिता का नाम - मोहम्मद शकुर

(स) जन्म तिथि/वर्ष -31 वर्ष

(द) राष्ट्रीयता.- भारतीय

(य) पासपोर्ट संख्या......................जारी होने की तिथि...........जारी होने की जगह .....

(र) व्यवसाय- अध्यक्ष नगर पालिका कैथून जिला कोटा।

(ल) पता- चन्डालिया मोहल्ला वार्ड नं. 19 कैथून जिला कोटा हाल अध्यक्ष नगर पालिका कैथून जिला कोटा।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :-

1. श्रीमती जैबून्निशा तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका कैथून जिला कोटा
2. श्री निर्भय सिंह तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून जिला कोटा
3. श्री रामबाबू चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यवाहक सहायक कर्मचारी कृषि भूमि नियमन/रूपान्तरण) नगर पालिका कैथून
4. श्री घासीलाल गुर्जर कनिष्ठ अभियन्ता , नगर पालिका कैथून जिला कोटा
5. श्री रफीक पहलवान पुत्र श्री मदार बक्श जाति मुसलमान निवासी कैथून जिला कोटा
6. श्रीमती सईदन बानो पत्नि रफीक पहलवान निवासी कैथून जिला कोटा

8.परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने मे विलम्ब का कारण:-.शून्य

9.चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)....

10.चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य- ....

11. 'पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)......................................

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :-

श्रीमान प्रकरण के हालात प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि परिवादीया श्री आईना महक, अध्यक्ष- नगर पालिका कैथून ने पालिका द्वारा कस्बा कैथून में जारी मकान के पट्टा वितरण के संबंध में एक टाईपशुदा शिकायत ब्यूरो, मुख्यालय जयपुर का इस आशय की प्रस्तुत की कि :- नगर पालिका कैथून में सुमन विहार नामक आवासीय कॉलोनी स्थित है जिसमे पार्षद रफिक पहलवान द्वारा खसरा नं. 1199 के भूखण्ड संख्या

01 के दस्तावेजो के साथ पट्टा बनाने हेतु आवेदन नगर पालिका कैथून में किया गया। जिस हेतु पालिका अधिकारियों एंव कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत पट्टा जारी करवा लिया गया। जबकि खसरा नं. 1199 की अनुमोदित कॉलोनी में भुखण्ड संख्या 01 कही पर भी विद्यमान नही है। इसके साथ ही रफीक पहलवान द्वारा आवेदन के साथ जो नक्शा प्रस्तुत किया गया वह खसरा नं. 1168 की भूमि के भुखण्ड सं ए-5 के पास खाली पडी नगर पालिका की भूमि का है जिसका गलत पट्टा जारी किया, जो कि खसरा नं. 1199 की भूमि से बहुत दूरी पर स्थित है एंव प्रस्तुत नक्शे का कालोनी के ले आउट प्लान में कोई अस्तित्व ही नही है। इस प्रकार उक्त गलत पट्टा तत्कालीन पालिका अध्यक्ष जैबूननिशा एंव अधिशाषी अधिकारी निर्भय सिंह चौधरी द्वारा जारी किया गया था। बाह्य विकास शुल्क तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी घांसीलाल गुर्जर के आदेशानुसार जमा करवाया गया था। आवेदन के साथ भूखण्ड के जो दस्तावेज संलग्न किये गये है वो दस्तावेज भूखण्ड संख्या डी-1 के है तथा भूखण्ड संख्या डी-1 भी अनुमोदित ले-आउट प्लान से बाहर है। इसी प्रकार पार्षद रफीक पहलवान द्वारा अपनी पत्नी सईदन बानों के नाम से भी अधिकारी/कर्मचारियों से मिलीभगत कर खसरा नं. 1170 आज तक भी राजस्व रिकार्ड में कृषि प्रयोजन हेतु दर्ज है। उक्त प्रकरण में कृषि भूमि को बिना अकृषि में परिवर्तन किये गलत पट्टा जारी कर दिया गया। उक्त पट्टे की स्वीकृति तत्कालीन पालिका अध्यक्ष योगेन्द्र नन्दवाना तथा अधिशाषी अधिकारी प्रकाश राम वर्मा जारी की गई थी तथा पट्टा तत्कालीन पालिका अध्यक्ष जैबूननिशा एंव अधिशाषी अधिकारी घांसीलाल गुर्जर द्वारा जारी किया गया तो सर्वथा अनुचित है। यह कि पार्षद रफीक पहलवान आदतन भूमाफिया है जिसने नगर पालिका की कई बेशकिमती भूमियों पर अतिकमण कर रखा है। जिसके सम्बन्ध में नगर पालिका कैथून द्वारा पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है जो न्यायालय मे विचाराधीन है तथा इस सम्बन्ध में कई बार उच्चाधिकारियों को भी पत्राचार किया गया परन्तु तत्कालीन भाजपा सरकार में भाजपा से पार्षद होने के कारण रफीक पहलवान के विरूद्व राजनैतिक दवाब में कोई कार्यवाही नही की गई। अतः श्रीमान से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में दोषी दोनो पूर्व पालिका अध्यक्षों तथा समस्त अधिकारियों, कर्मचारियों व भूमाफिया के विरूद्व कठोरत्तम कार्यवाही करने का श्रम फरमावें।

इत्यादि परिवाद पर ब्यूरो मुख्यालय जयपुर द्वारा परिवाद संख्या 217/19 दिनांक 19.07.2019 पंजीबद्व किया गया। परिवाद सत्यापन हेतु मन् अति0 पुलिस अधीक्षक को प्राप्त हुआ। परिवाद की जॉच के दौरान, श्री रफीक पहलवान व सईदन बानो को जारी पट्टों से सम्बन्धित पत्रावलियॉ मय नक्शा पत्रादि के नगर पालिका कैथून से प्राप्त किये गये। परिवादिया श्रीमती आईना महक व अन्य गवाहान दिनेश कुमार पटवारी, अब्दुल रज्जाक, हरीओम पुरी उपाध्यक्ष नगर पालिका, कौशल किशोर लिपिक के बयान लेखबद्व किये गये। जॉच के दौराने रफीक पहलवान लाभार्थी, श्रीमती सईदन बानो लाभार्थी, श्रीमती जैबून्निशा, नगर पालिका अध्यक्ष कैथून, रामबाबू च.श्रे.कर्मचारी, घांसीलाल गुर्जर को तलब कर बयान/ स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया। उप पंजियक कोटा से उक्त खसरा नम्बर की तत्कालीन डीएलसी दर प्राप्त की गई। स्वायत्त शासन विभाग से उक्त पट्टों को निरस्त करने एंव नगर पालिका कैथून द्वारा की गई जॉच रिपोर्ट की प्रति प्राप्त की गई। नगर पालिका कैथून से अन्य सुसंगत दस्तावेज प्राप्त कर शामिल पत्रावली किये गये।

परिवाद मे वर्णित आरोपों, सम्पूर्ण जांच एवम् प्राप्त रिकार्ड, बयान एंव आरोपियान के स्पष्टीकरण के अवलोकन से पाया गया कि श्री रफीक पहलवान द्वारा दिनांक 11.02.2013 को अपनी ओर से प्रार्थना पत्र कमांक 2351 मय आवेदन क्रमांक 996 से खसरा नम्बर 1199 मे भूखण्ड संख्या 01 का पट्टा जारी करने के लिए आवेदन,

अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून को किया गया। 200 रूपये की रसीद संख्या 172/32 नगर पालिका द्वारा जारी की गई। दिनांक 26.02.13 को प्रशासन शहरों के संग अभियान 2012 के अर्न्तगत श्री रामबाबू कार्यवाहक कनिष्ठ लिपिक(चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) द्वारा श्री रफीक पहलवान पुत्र मदार बक्श निवासी सुमन विहार कैथून को खसरा नम्बर 1199 की जमीन बहैसियत मुख्तयारआम श्री मदनलाल पुत्र देवलाल माली निवासी बोरखेड़ा कोटा के नाम होकर इस खसरा नम्बर एंवम् अन्य खसरा नम्बर पर सुमन विहार कॉलोनी के नाम से विकसित की थी, की रसीद नम्बर 175/65 दिनांक 26.02.13 के द्वारा 13453 रूपये की राशि पट्टा जारी करने के लिए जमा की गई। अधिशाषी अधिकारी श्री निर्भय सिंह चौधरी द्वारा टिप्पणी को जारी कर भूमि नियमन के लिए नियमन शुल्क, लीज, पट्टा पत्रावली के शुल्क के रूप में रसीद संख्या 186/38 के जर्ये 3125 रूपये जमा करवाये। बाबू के द्वारा पट्टा जारी करने की अनुशंषा की गई । आवेदक द्वारा दिनांक 08.02.13 को अपनी ओर से क्षतिपूर्ति बन्धपत्र एवम् शपथपत्र पेश किये, साथ ही अपने स्वामित्व बाबत् नक्शा पेश किया। जबकि आवेदक द्वारा प्रस्तुत खसरा नम्बर 1199 में भूखण्ड संख्या 01 सुमन विहार कॉलोनी के प्लानिंग में अस्तित्व में ही नही है नाही सुमन विहार कॉलोनी के खसरा नं. 1168 के भुखण्ड संख्या ए-5 के समीप कोई भूखण्ड स्थित है। पटवारी हल्का कैथून की रिपोर्ट दिनांक 27.12.2019 के अनुसार रफीक पहलवान को जारी पट्टा वाली भूमि, सरकारी भूमि खसरा संख्या 1165 रकबा 0.15 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता है जो खाता सिवायचक दर्ज है। जबकि रफीक पहलवान को जारी पट्टे में खसरा संख्या 1199 सुमन विहार कॉलोनी में होना अंकित किया है। जबकि श्री रफीक पहलवान को जारी पट्टा सुमन विहार कॉलोनी में नही होकर खसरा संख्या 1165 सिवायचक सरकारी भूमि में दिया गया है जो पट्टे में अंकित खसरा संख्या 1199 से काफी दूरी स्थित है नगर पालिका की सरकारी भूमि के खसरा संख्या 1165 में पट्टा जारी किया गया है वहॉ की डीएलसी दर 279/-रूपये प्रति वर्ग फीट थी। नगर पालिका कैथून से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार लाभार्थी श्री रफीक पहलवान को पट्टा जारी करने से पूर्व नगर पालिका में उपलब्ध रिकार्ड अनुसार पालिका एम्पावर्ड कमेटी की बैठक आयोजित नही होना व पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में निर्णय लिया जाना नही पाया गया नगर पालिका कैथून के तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री निर्भय सिंह चौधरी एवम् अध्यक्ष जैबून्निशा द्वारा अपने संयुक्त हस्ताक्षर से लाभार्थी श्री रफीक पहलवान पुत्र मदार बक्श के नाम दिनांक 06.03.14 को सुमन विहार कॉलोनी कैथून में खसरा नम्बर 1199 के भूखण्ड सख्या 01, 500रू के स्टाम्प पर श्री रफीक अहमद पहलवान के नाम संपादित लीज डीड में भूखण्ड की सीमाओ का उल्लेख किया गया साथ ही राजस्थान भू राजस्व अधि. 1956 की धारा 90बी के तहत पुन: आवंटन कमांक 9953 दिनांक 04.03.14 के द्वारा रफीक पहलवान को सुमन विहार कॉलोनी में भूखण्ड संख्या 01 क्षेत्रफल 375 वर्गफुट का मवासा रोड पर सीमाओ का अंकन कर पट्टा जारी किया। जबकि रफीक पहलवान द्वारा प्रस्तुत पत्रादिनुसार उसके द्वारा 250 वर्गफुट पट्टा हेतू ही आवेदन किया था। जबकि मुताबिक रिकार्ड 375 वर्गफीट का पट्टा जारी किया गया है जिसकी डीएलसी दर के अनुसार भूखण्ड की कीमत 375X279=104625रू बनती है। जिसमें नगर पालिका कैथून द्वारा पट्टा जारी करते समय 13453 रूपये ही प्राप्त किये है अत: 104625-13453=91172 रूपये की आर्थिक क्षति राज्य सरकार को कारित की है। इस प्रकार नगर पालिका कैथून के कार्यवाहक कनिष्ठ लिपिक (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी) रामबाबू, कनिष्ठ अभियंता धर्मीलाल, अधिशाषी अधिकारी निर्भय सिंह एवम् नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती जैबून्निशा द्वारा लाभार्थी श्री रफीक पहलवान के साथ आपसी मिलीभगत एंव पद का दुरूपयोग कर मात्र कागजो के आधार पर ही आवेदक के प्रार्थना पत्र पर मौके की स्थिति को स्पष्ट किये

बिना अनदेखी करते हुए, नाममात्र का शुल्क जमा करवाकर, सरकारी भूमि पर पट्टा जारी कर दिया, जिससे राज्य सरकार को 91172 रू आर्थिक हानि हुई है।

आरोपिया श्रीमती सईदन बानो पत्नि रफीक पहलवान मवासा रोड सुमन विहार वार्ड नं. 10 द्वारा भी नगर पालिका कैथून में दिनांक 10.08.2009 को माजिद कॉलोनी भूमि खसरा संख्या 1170 में भूखण्ड संख्या 11 (साईज 24X36=864वर्ग फीट) 96 वर्ग गज का पट्टा जारी करने हेतु दिनांक 10.08.09 को आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर तत्समय पट्टा जारी नही किया गया। उक्त भूखण्ड के सम्बन्ध में 90बी की कार्यवाही सम्पादित नही होने के तथ्य आवेदन पत्र के अवलोकन से प्रारम्भ से ही पत्रावली पर स्पष्ट है फिर भी वर्ष 2013 में तत्कालीन चैयरमैन श्रीमती जैबून्निशा व अधिशाषी अभियंता निर्भय सिंह गुर्जर, घांसीलाल कनिष्ठ अभियंन्ता व श्री रामबाबू च.श्रे.कर्मचारी/कार्यवाहक भूमि शाखा लिपिक द्वारा पद का दुरूपयागे करते हुए भूमि खसरा संख्या 1170 पर बिना किसी सक्षम अधिकारी से 90ए/बी की कार्यवाही के आदेश हुए बिना ही सईदन बानो को लाभ पहुंचाने की गरज से पट्टा नियमन शुल्क जमा करवा लिया, एंव लाभार्थी सईदन बानो के साथ आपसी मिलीभगत कर भूमी खसरा संख्या 1170 में भूखण्ड संख्या 11 का नगर पालिका कैथून के पट्टा कमांक 9955 दिनांक 04.03.14 से बिना 90बी की कार्यवाही सम्पादित हुए बिना ही पट्टा आवंटित कर दिया। खसरा नम्बर 1170 का भूखण्ड संख्या 11 जो 864 वर्गफीट है जिसकी बाजार कीमत 864X279= 241056रू है जो मात्र 16996रू (विकास शुल्क, आवासीय नियमन, आवासीय लीज, पट्टाशुल्क, बाह्य विकास शुल्क जमा करवाकर जारी किया है। जिससे 241056-16996= 224060रू की राज्य सरकार को आर्थिक हानि हुई है।

परिवाद की जॉच से उक्त पट्टो के सम्बन्ध में तत्कालीन पालिका अध्यक्ष योगेन्द्र नन्दवाना तथा अधिशाषी अधिकारी प्रहलाद राय वर्मा द्वारा वर्ष 2009 मे कार्यालय टिप्पणी में नियमन के सम्बन्ध में राशि 9796रू जमा कराने के आदेश जारी किये गये थे। योगेन्द्र नन्दवाना एंव अधिशाषी अधिकारी प्रहलाद राय द्वारा नियमन शुल्क जमा करवाया गया था पट्टा जारी करने सम्बन्धित आदेश जारी नही किया था, ना ही पट्टा जारी किया गया। अत: परिवाद की जॉच से उक्त दोनो की पट्टा जारी करने में प्रथम दृष्टया किसी भी प्रकार की आपराधिक सलिप्तता नही पाई गई है।

सम्पूर्ण जॉच से रफीक पहलवान के नाम जारी भू आवंटन पट्टा खसरा नम्बर 1199 सुमन विहार कॉलोनी का भूखण्ड संख्या 01, सुमन विहार कॉलोनी के खसरा नम्बर 1168 के भूखण्ड ए-5 के पास अस्तित्व में नही होना एंव सुमन विहार कॉलोनी के ले आउट प्लान में दर्शाया गया भूखण्ड नगर पालिका की सरकारी जमीन खसरा नम्बर 1165 पर होना पाया जाना, एंव आवेदक श्री रफीक पहलवान द्वारा आवेदन किये गये भूखण्ड की साईज से बडी साईज का भूखण्ड आवंटित करना एंव उक्त भूखण्ड नाममात्र शुल्क जमा करवाकर पद का दुरूपयोग कर जारी किया जाना पाया गया है। श्रीमतो सईदन बानो के नाम जारी भू आवंटन पट्टा खसरा नं. 1170 की जमीन जिसकी 90बी का आदेश नही होने के उपरान्त भी उक्त भूमि में से भूखण्ड संख्या 11 का लाभार्थी से मिलीभगत कर पद का दुरूपयोग कर आवंटन संख्या 9955 दिनांक 04.03.14 से पट्टा जारी कर दिया, नगर पालिका कैथून की तत्कालीन अध्यक्ष श्रीमती जैबूनिशा, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी श्री निर्भय सिंह चौधरी, श्री धासीलाल गुर्जर कनिष्ठ अभियंता एवम् श्री रामबाबू च.श्रे. कर्मचारी कार्यवाहक भूमि शाखा लिपिक का उपरोक्त कृत्य अपने पद का दुरूपयोग कर लाभार्थी श्री रफीक पहलवान पुत्र मदार बक्श जाति मुसलमान निवासी कैथून एंव श्रीमती सईदन बानो पत्नि रफीक पहलवाद निवासी कैथून से आपसी मिलीभगत कर अवैधानिक तौर पर लाभ पहुचानें के उद्देश्य से नियम विरूद्ध श्री रफीक पहलवान को खसरा नम्बर 1199

सुमन विहार कॉलोनी के स्थान पर खसरा नं. 1165 की नगर पालिका की सरकारी जमीन पर पट्टा जारी करना एंव श्रीमती सईदन बानो को खसरा संख्या 1170 की बिना 90बी की कार्यवाही सम्पादित किये मवासा रोड भूखण्ड संख्या 11 खसरा संख्या 1170 का पट्टा जारी कर दिया। उक्त नगर पालिका कैथून के अध्यक्ष, अधिशाषी अधिकारी कनिष्ठ अभियंता एंव कनिष्ठ लिपिक द्वारा पद का दुरूपयोग कर नियम विरूद्व नाममात्र शुल्क पर श्री रफीक पहलवान एंव श्रीमती सईदन बनो को पृथक पृथक पट्टे जारी कर नगर पालिका कैथून/राज्य सरकार को कुल 315232 रू की आर्थिक हानि कारित की है। अतः उक्त सभी आरोपिगण के विरूद्व धारा 13(1)(सी)(डी),13(2) पीसी एक्ट 1988 एवम् 120बी भा.द.स. का अपराध किया जाना जॉच से प्रमाणित पाया गया है।

अतः 1.श्रीमती जैबुन्निशा तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका कैथून जिला कोटा 2. श्री निर्भय सिंह तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून जिला कोटा 3. श्री रामबाबू चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यवाहक सहायक कर्मचारी कृषि भूमि नियमन/रूपान्तरण) नगर पालिका कैथून जिला कोटा 4. श्री घासीलाल गुर्जर कनिष्ठ अभियन्ता , नगर पालिका कैथून जिला कोटा 5. श्री रफीक पहलवान पुत्र श्री मदार बक्श जाति मुसलमान निवासी कैथून 6. श्रीमती सईदन बानो पत्नि रफीक पहलवान निवासी कैथून जिला कोटा के विरूद्व उपरोक्त कृत्य पर जुर्म धारा 13(1)(सी)(डी),13(2)भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 व 120बी भा.द.स. का अपराध कारित किया जाना पाया जाने से अपराध पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

(डॉ प्रेरणा शेखावत)
अति. पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा देहात

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ. प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध जुर्म अन्तर्गत धारा 13(1)(सी)(डी),13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्रीमती जैबून्निशा, तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका कैथून, जिला कोटा 2. श्री निर्भय सिंह, तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून, जिला कोटा, 3. श्री रामबाबू, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (कार्यवाहक सहायक कर्मचारी कृषि भूमि नियमन/रूपान्तरण) नगर पालिका कैथून, जिला कोटा 4. श्री घासीलाल गुर्जर, कनिष्ठ अभियन्ता, नगर पालिका कैथून, जिला कोटा, 5. श्री रफीक पहलवान पुत्र श्री मदार बक्श, जाति मुसलमान निवासी कैथून, जिला कोटा एवं 6. श्रीमती सईदन बानो पत्नी रफीक पहलवान, निवासी कैथून, जिला कोटा के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 189/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

18/5/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक:-1664-70 दिनांक 18.05.2022

प्रतिलिपि:-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. अध्यक्ष, नगर पालिका कैथून, जिला कोटा।
4. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका कैथून जिला कोटा।
5. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
6. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा देहात, कोटा।
7. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर परि.(217/19)।

18/5/22

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।